प्रेस विज्ञप्ति
10.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने उत्तरी गोवा के मिरामार, कारंजालेम स्थित भूमि के एक भू-खंड पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर काश्तकारी अधिकारों से कपटपूर्ण तरीके से वंचित किए जाने से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत फादर अर्लिनो डी मेलो, फादर विक्टर कॉन्सेसाओ रोड्रिग्स (गोवा एवं दमन महाधर्मप्रांत के तत्कालीन प्रोक्यूरेटर), प्रभाकर रामा हवालदार (पणजी सिटी सर्वे के तत्कालीन सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख निरीक्षक) तथा एक निजी रियल एस्टेट विकास फर्म (विधिक इकाई के रूप में) के विरुद्ध उत्तरी गोवा के मर्सेस स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

यह जांच उत्तरी गोवा के पणजी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) पर आधारित है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 18.11.2004 से 05.12.2006 के बीच आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर सिटी सर्वे, पणजी के पी.टी. शीट संख्या 162 के चाल्टा संख्या 44 में दर्ज 2479 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले भूमि-खंड के फॉर्म 'बी' के धारक कॉलम में गोवा एवं दमन महाधर्मप्रांत का नाम दर्ज कराया, जिससे मूल काश्तकार परिवार को उसके वैध काश्तकारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उक्त प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने प्रवर्तन मामला सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया।

जांच के दौरान ईडी ने 16.12.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के अंतर्गत गोवा में तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए।

ईडी द्वारा की गई वित्तीय जांच में यह सामने आया कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर उक्त भूमि-खंड को धोखाधड़ीपूर्वक गोवा एवं दमन महाधर्मप्रांत के नाम पर पंजीकृत कराया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 09.04.2007 की विक्रय विलेख के माध्यम से मात्र 61,97,500 रुपये के अत्यंत कम प्रतिफल पर इसे एक निजी रियल एस्टेट विकास फर्म को बेच दिया गया। इसके पश्चात उक्त भूमि पर आवासीय-सह-व्यावसायिक परियोजना विकसित की गई तथा उसमें निर्मित इकाइयों को अनेक खरीदारों को बेचकर लगभग 27.10 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न एवं धारण की गई।

ईडी द्वारा इससे पूर्व धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत लगभग 27.10 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया जा चुका है। कुर्क की गई संपत्तियों में मिरामार, कारंजालेम, पणजी स्थित एक व्यावसायिक संपत्ति (होटल-सह-रेस्तरां) तथा दो अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो अपराध से अर्जित आय अथवा उक्त कपटपूर्ण लेन-देन से अर्जित अपराध की आय के समतुल्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियां हैं।